



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042024-253556  
CG-DL-E-04042024-253556

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1538]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 2024/चैत्र 15, 1946

No. 1538]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 2024/CHAITRA 15, 1946

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2024

का.आ. 1621(अ).—केंद्रीय सरकार, ट्रिब्यूनल (सेवा शर्तें) नियमावली, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (7) के खंड (क) और नियम 10 के उप-नियम (1) के साथ पठित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 (2021 का 33) की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 5 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री पी.एस. दिनेश कुमार, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक प्रतिभूति अपीलीय ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 3/2/2023-आरई]

सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**(Financial Markets Division)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th April, 2024

**S.O. 1621(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 and clause (i) of section 5 of the Tribunals Reforms Act, 2021 (33 of 2021) read with clause (a) of sub-rule (7) of rule 3 and sub-rule (1) of rule 10 of the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021, the Central Government hereby appoints Justice (Retd.) Sh. P. S. Dinesh Kumar, Former Chief Justice, High Court of Karnataka as Presiding Officer of the Securities Appellate Tribunal for a period of four years with effect from the date of assumption of charge or till he attains the age of seventy years, or until further orders, whichever is the earlier.

[F. No. 3/2/2023-RE]  
SURBHI JAIN, Jt. Secy.